कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: आदेश ::—

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में शुल्क संग्रहण के संबंध में निम्नांकित आदेश दिए जाते हैं—

1. गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों / अभिभावकों से 15 मार्च के बाद बकाया कोई भी शुल्क, वर्तमान में लागू फीस तथा अग्रिम फीस के भुगतान को आगामी तीन माह तक स्थगित (Defer) किया जाता है। इस अवधि में शुल्क जमा न करने की स्थिति में किसी विद्यार्थी का नाम न काटा जाए।
2. वर्तमान गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययन निरन्तर जारी रखने की स्थिति में वर्तमान सत्र 2020—21 का स्थगित (Deferred) शुल्क स्थगन अवधि उपरान्त जमा कर सकेंगे।
3. लॉक डाउन अवधि पूर्ण होने के पश्चात् यदि गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र (T.C.) चाहता है तो पूर्व सत्र 2019—20 तक का शुल्क जमा करके अदेय प्रमाण—पत्र प्राप्ति उपरान्त स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र ले सकेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

शिविरा—मा / पीएसपी / शिकायत / वेतन / 2019—20 दिनांकः—09.04.2020

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक / माध्यमिक।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

10. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
11. संस्था सचिव, गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था (समस्त) राजस्थान को पालनार्थ।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर